FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0101 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/05/2024 17:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:35 बजे **Time To (समय तक):** 12:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/05/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/05/2024 17:45:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 170 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SAMUDAYIK SWASTHY KENDRA, PRTAPGADH, ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ROOP SINGH GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ISHWAR MAL GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BALLU BAAS, THANAGAJI ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BALLU BAAS, THANAGAJI ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9001360722

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SAMARTH LAL MEENA		पिता:MOHAR PAL MEENA	1. KHARIYAWAS,TEHLA ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
2	YOGESH SHARMA		पिता:ASHOK KUMAR SHARMA	1. KOLAHEDA,NARAYANPUR, कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN, INDIA
3	SUNIL GOYAL		पिता:MOHAN LAL GOYAL	1. PRATAPGADH,ALWAR,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 23.05.2024 को समय 06.30 ए.एम.पर परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर पुत्र श्री ईश्वरमल गुर्जर निवासी ग्राम बल्लूबास तहसील थानागाजी जिला अलवर मे मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि हमारे परिवार के साथ मारपीट हो गई थी जिसमें मेरे , मेरे पिताजी मेरी पत्नि व भाई के चोट लगी जिस पर हमने थाना प्रतापगढ मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी एफआईआर नम्बर 56/2024 है मारपीट की एमएलसी करने हेतु हम डॉक्टर समर्थ लाल व डॉक्टर योगेश से प्रतापगढ सरकारी अस्पताल में मिले तो उन्होने मेरे से एक लाख रूपये रिश्वत की मॉग कर रहा है। मै उन्हे रिश्वत नही देना चाहता हूं कृप्या कार्यवाही करे। परिवादी के उक्त कथन पर परिवादी को कार्यालय मे आने की हिदायत दी गई तो परिवादी ने बताया कि मै भिवाडी आने मे असमर्थ हूं मै आपको अलवर मे मिल सकता हॅू। परिवादी के उक्त कथन पर परिवादी को वक्त 11-11.15 ए0एम0 पर प्रताप ऑडिटोरियम अलवर के पास मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 09.30 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही कानि0 राजवीर सिह के कार्यालय हाजा का कानि0 चालक अवकाश पर होने के कारण जरिये प्राईवेट वाहन मय डिजिटल वाईस रिकार्डर व सरकारी लेपटॉप मय प्रिंटर कें परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर से संपर्क करने हेतु अलवर के रवाना होकर प्रताप आडिटोरियम अलवर पहॅुचा। समय करीब 11.35 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय कानि0 राजवीर सिंह के प्रताप ऑडिटोरियम अलवर के पास मुकिम हॅू। यहा परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर व सह परिवादी श्री मूलचंद के मन उप अधीक्षक पुलिस के पास स्वयं की निजी कार से उपस्थित आये। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी सें वार्ता की गई तों परिवादी ने उपरोक्त कथन बताते हुए एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सेवा में श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी भिवाडी विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बावत। महोदय निवेदन है कि मै रूप सिह गुर्जर पुत्र श्री ईश्वर मल गुर्जर ग्राम बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर का रहने वाला हूॅ। हमारे परिवार के साथ रमेश व जयनारायण के परिवार ने मारपीट की थी। मारपीट में मेरे व मेरे पिताजी एवं मेरी पत्नि तथा मेरे भाई को गंभीर चोट लगी थी। उक्त मारपीट पर हमने पुलिस थाना प्रतापगढ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसकी एफआईआर नं0 56/2024 है। हमारे साथ हुई मारपीट की एम.एल.सी. करने हेतु मै व मेरे जीजा श्री मूलचंद सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ में डॉक्टर समर्थ लाल व डॉक्टर योगेश से मिले तो उन्होने एक लाख रूपये रिश्वत की मॉग की रिश्वत राशि नही देने पर पुरानी चोटें और साधरण चोट दिखाने की कही । डॉक्टर के द्वारा बार बार रिश्वत की मॉग के लिए मेरे जीजा के मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत की मॉग कर रहे है। हम दोनो डॉक्टरों को रिश्वत नही देना चाहते है बल्कि रिश्वत लेते हुए उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। कृप्या कानूनी कार्यवाही करे। मेरी व मेरे जीजा की इनसे कोई दुष्मनी नहि है, ना ही कोई लेन-देन बाकी है। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर से उसके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित व हस्ताक्षरषुदा होना बताते हुये अंकित तथ्य सही होना बताया तथा बताया कि डॉक्टर समर्थलाल एवं डॉक्टर योगेश की मेरे से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है ना ही कोई लेन देन है। डॉक्टर द्वारा मेरे से व मेरे जीजा श्री मूलचंद के समक्ष रिश्वत की मॉग की गई है। अब भी डॉक्टर मेरे जीजा के मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत की मॉग कर रहे है। रिश्वत नही देने पर पुरानी चोटें और साधरण चोट दिखाने की कह रहे है परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र व पूछताछ के बारे में परिवादी के साथ आये परिवादी के जीजा श्री मूलचंद से पूछताछ की गई तो सह परिवादी मूलचंद ने परिवादी के कथनो की ताईद की। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं उससे की गई पूछताछ आदि से मामला रिश्वत राशी की मांग का है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर वक्त 12.30 पी.एम.पर परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर की उपस्थिति में आरोपी डॉक्टर समर्थ लाल एवं डॉक्टर दुर्गेश सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र से

रिश्वत मांग के संबंध में होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड हेतु हमराह लाये डिजीटल वॉईस रिकार्डर बरंग काला में नया सैल, एवं sandisk 32 जीबी मैमारी कार्ड डालकर उक्त वाईस रिकॉर्डर को मैमोरी कार्ड डले सहित चालू कर सभी फोल्डर खाली होना सुनिचित कर उक्त वाईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने का तरीका परिवादी व राजवीर सिह कानि0 को बताया जाकर श्री राजवीर सिह कानि0 को सुपुर्द कर उसे परिवादी के हमराह परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार उसके बताये हुये गन्तव्य स्थान पर जाकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं वाईस रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी डॉक्टर समर्थ लाल एवं डॉक्टर योगेश सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ पर भेजकर उसके द्वारा की जा रही रिश्वत राशी की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित मय परिवादी के कटी घाटी अलवर में उपस्थित होने की हिदायत देकर परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर व सह परिवादी श्री मूलचंद एवं राजवीर सिह कानि को परिवादी की निजी कार से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 03.55 पी.एम. पर श्री राजवीर सिह कानि नें मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल कॉल कर अवगत कराया कि परिवादी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही करवाई जा चुकी है। परिवादी ने मन् कानि0 को बताया है कि मुझे संदिग्ध आरोपीगण सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ के अन्दर मिल गये थे। संदिग्ध आरोपी डॉक्टर योगेश ने मेरे से 15000 रूपये ले लिये है और 25000/- रूपये और रिश्वत के मांगे है । मेरे द्वारा संदिग्ध आरोपी डॉक्टर समर्थलाल से उक्त तथ्य बताने पर उसने कहा है कि सही है मै आपकी रिपोर्ट बना दुगां। मुझे रिश्वती राशि लेकर रविवार को बुलाया है। परिवादी से मैने वाईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। मन उप अधीक्षक पुलिस ने गोपनीयता बनाये रखने व मय वाईस रिकार्डर के परिवादी, सहपरिवादी एवं राजवीर सिह कानि0 को कटी घाटी अलवर के पास पहॅुचने की हिदायत दी गई। फिर वक्त 06.15 पी.एम. पर श्री राजवीर सिह कानि0 एवं परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर व सहपरिवादी श्री मूलचंद मय वाईस रिकार्डर के मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कटीघाटी अलवर के पास उपस्थित आये और परिवादी रूप सिह ने बताया कि मैं व मूलचंद एवं राजवीर सिह के आपके पास से रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ जिला अलवर के नजदीक पहुंचे। राजवीर सिह कानि0 ने वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझको सुपुर्द कर दिया। मै व मेरा जीजा मूलचंद राजवीर सिह कानि0 के पास रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ पहुचे। मेरी व मेरे जीजा की संदिग्ध आरोपीगण से वार्तालाप हुई तो उन्होने हमारी एम.एल.सी. रिपोर्ट हमारे पक्ष मे बनाने की एवज में 15000 रूपये डॉक्टर योगेश ने ले लिए और 25000 रूप्ये रिश्वत के और रविवार को लेकर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ मे बुलाया है। परिवादी के उक्त कथन पर सहपरिवादी मूलचंद से पूछताछ की गई तो परिवादी रूप सिह गुर्जर के कथनो की ताईद की। श्री राजवीर सिह कानि0 से डिजिटल वाईस रिकार्ड प्राप्त कर पूछताछ की गई तो बताया कि मैने वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया था। मै सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र के बाहर खडा हो गया था। परिवादी व सहपरिवादी सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र के अन्दर चला गये मैं सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र के पास ही परिवादी व सहपरिवादी के आने इंतजार में मुकीम हो गया कुछ समय पश्चात परिवादीगण मेरें पास आया और मैनें वाईस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर बंद कर स्वंय के पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे उपरोक्त तथ्य बताये जो मैनें आपको जरिये मोबाईल कॉल कर बता दिये थे। कानि0 राजवीर से प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये सहित ऑन कर परिवादी व सहपरिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगणों के मध्य हुई रिश्वत मांग संबंधी वार्ता के मुख्य अंश सुने गये तो वार्ता रिकार्ड होना पायी गई। उक्त वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये को उसी हालत में मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे में बिना छेड-छाड किये सुरक्षित अपने पासं रखा गया। फिर समय 06.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर एवं सहपरिवादी श्री मूलचंद को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने एवं रिश्वती राशि 25000 रूपये साथ लेकर आने की एवं दिनांक 25.05.2024 को वक्त 02ः00 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय भिवाडी उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत दी गई। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही कानि0 के प्रकरण संख्या 12/2024 मे श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक खैरथल तिजारा से दिनांक 24.05.2024 को अभियोजन स्वीकृति के संबंध मे विचार विमर्श की तिथी नियत होने के कारण मुकिम अलवर हुआ। तत्पश्चात दिंनाक 24.05.2024 को वक्त करीब 03.40 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही कानि0 राजवीर सिह के प्रकरण संख्या 12/2024 में आरोपित के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति हेतु श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक खैरथल तिजारा से विचार विमर्श कर हाजिर कार्यालय आया हूं। परिवादी श्री रूप सिह एवं सहपरिवादी मूलचंद की संदिग्ध आरोपी डॉक्टर समर्थ लाल एवं डॉक्टर योगेश से हुई रिश्वती मॉग का वाईस रिकार्ड मेमेरी कार्ड सहित स्वयं के पास से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख अलमारी को लॉक किया गया। कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग खंड भिवाडी को दो स्वतंत्र गवाह भिजवाने हेतु पत्र जारी कर प्रेषित किया गया। तत्पश्चात दिंनाक 25.05.2024 को कार्यालय हाजा में परिवादी श्री रूपसिंह एंव परिवादी का जीजा श्री मूलचंद हाजिर आये है। तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल बंसल पुत्र श्री सुनील कुमार बंसल उम्र 22 जाति महाजन निवासी 2/367 युआईटी कॉलोनी भिवाड़ी हाल कनिष्ठ सहायक एवं श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम व पोस्ट बन्दूण पुलिस थाना व तहसील सतपूली जिला पोडी गढ़वाल उत्तराखण्ड हाल

आबाद 10/936 अरावली विहार अपार्टमेन्ट भिवाड़ी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड भिवाड़ी हाजिर कार्यालय आये। उपरोक्त दौनो गवाहान का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर एवं सहपरिवादी श्री मूलचन्द से परिचय कराया गया। परिवादी श्री रूपसिंह द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दौनो ने स्वयं की ईच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। उपरोक्त गवाहान को अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया प्रार्थना पढ़ने को दिया गया। दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढ़कर प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 06.30 पीएम दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे से वाईस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी व सहपरिवादी एवं आरोपी डॉ0 समर्थ लाल व डॉ0 योगेश के मध्य दिनांक 23.05.2024 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को विभागीय कम्प्यॅूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादीगण एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी डॉ0 समर्थ लाल व डॉ0 योगेश, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ जिला अलवर द्वारा वक्त सत्यापन परिवादी श्री रूपसिंह से 15 हजार रूपये लेना एंव 25000/- रूपये रिश्वत राशी की मांग कर रविवार को देने की कहना पाया गया। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री राजवीर कानि0 443 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर एवं सहपरिवादी द्वारा अपनी-अपनी आवाज व आरोपी डॉ0 समर्थ लाल व डॉ0 योगेश की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु चार खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर चारों को पैन ड्राईव SANDISK 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले SANDISK 32 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ता जो LOCATION- PRIVATE/ SONY/ VOICE/ FOLDER 01 में रिकॉर्ड है को कम्प्यूटर की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से चार पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का ए-1 व ए-2 तथा ए-3, ए-4 अंकित किया जाकर मार्क ए-1 व ए-2 एंव ए-3 को सील मुहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा चोथें पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क ए-4 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। फिर समय 10.45 पीएम पर परिवादी श्री रूपसिंह एवं सहपरिवादी श्री मूलचन्द को दिनांक 26.05.2024 को प्रातः 03.45 ए0एम पर रिश्वती राशी सहित कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत देकर दिनांक 26.05.2024 को प्रातः 03.45 ए0एम पर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत दी गई। दिनांक 26.05.2024 को समय करीब 04.00 ए.एम पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री राहुल बंसल कनिष्ठ सहायक एवं श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड भिवाड़ी तथा परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर सहपरिवादी श्री मूलचन्द हाजिर कार्यालय आयें। समय करीब 4०:15 एम पर रूबरू गवाहान के परिवादी श्री रूप सिह गुर्जर पुत्र श्री ईश्वर मल गुर्जर ग्राम बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर से आरोपी डॉक्टर समर्थ लाल व डॉक्टर योगेश सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशी मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 25,000 /-रूपये 500-500/-रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर सभी नोटो के नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री लल्लूराम कानि0 487 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी मंगवाकर शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर श्री लल्लूराम कानि0 487 से एक साफ अखवार पर निकलवाकर 25,000/-रूपये के नम्बरी नोटो फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रूपिंसह गुर्जर की जामा तलाशी गवाह श्री राहुल बंसल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड भिवाड़ी से लिवाई गई। परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री लल्लूराम कानि0 487 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 25,000/-रूपये के नोट सीधे ही परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर की पहनी हुई सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी डॉक्टर समर्थ लाल एवं डॉक्टर योगेश के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल फोन से मिस कॉल करने का रिश्वत प्राप्ति का ईशार बताया गया साथ ही सहपरिवादी श्री मूलचन्द को परिवादी के साथ रहने की हिदायत दी गई एंव सहपरिवादी के पास उसके मोबाईल व पहने हुए परिधान के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई।

दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि यथा सम्भव परिवादीगण व आरोपी डॉक्टर समर्थ लाल एवं डॉक्टर योगेश के मध्य में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री सतीश कुमार हैडकानि. से एक साफ पारदर्षी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीषी को निकलवाकर गवाह श्री प्रीतम सिंह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री लल्लूराम कानि0 487 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया । इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीषी को ढक्कन बंद करवाकर श्री लल्लूराम कानि0 487 से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीषी को ट्रेप बोक्स में सतीश कुमार हैडकानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री लल्लूराम कानि0 487 से गिलास के धोवन को बाहरं फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार एवं पारदर्षी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सतीश कुमार हैडकानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, सतीश हैडकानि, एंव समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी रूपसिंह गुर्जर को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्य तथा मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया गया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेटएवं सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर पूर्ण की गई। तत्पश्चात समय 6ः30 एम पर परिवादी श्री रूपसिंह एंव परिवादी के जीजा श्री मूलचंद एंव स्टाफ के सदस्य श्री राजवीर सिंह कानि. व साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक के परिवादी निजी कार से आगे आगे रवाना कर कार्यालय की सरकारी वाहन मय चालक श्री महेश चन्द के श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक एंव सतीश हैडकानि. के एसीबी चौकी अलवर प्रथम से पाबंध शुदा स्टाफ श्री भास्कर हैड कानि, श्री सुण्डाराम हैड कानि., एंव महेश कुमार कानि., को अलवर से साथ लेने की हिदायत देकर आगे-आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दौनो स्वतंत्र गवाहान व कानि. रवि कुमार के जरिये निजी वाहन मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय पिं्रटर आदि सामग्री के वास्ते ट्रेप कार्यवाही प्रतापगढ़ के लिये रवाना होकर समय 10ः45 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ, स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी व परिवादी के जीजा श्री मूलचंद के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी चौकी अलवर प्रथम से पाबंध शुदा स्टाफ श्री भास्कर हैड कानि, श्री सुण्डाराम हैड कानि., एंव महेश कुमार कानि., को मय लेपटॉप के हमराह लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ़ के मुख्य के दरवाजे के सामने पहूंचा। श्री राजवीर कानि. द्वारा परिवादी को उसे सुपुर्दषुदा वाईस रिकॉर्डर चालू कर एंव आवश्यक हिदायत देकर परिवादी व परिवादी के जीजा मूलचंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ़ के अन्दर आरोपितों के पास रिश्वती राशी देने रवाना किया। परिवादी व परिवादी के जीजा मूलचंद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ़ के अन्दर प्रवेश कर गये मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक, सतीश कुमार हैडकानि.,रवि कुमार कानि., मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के परिवादीगणों के पिछे-पिछे रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में अपनी मौजुदगी छिपाते हुए खडे होकर परिवादी के मुकर्रर ईशार के इन्तजार में मुकीम हुआ। शेष स्टाफ भी ईधर-उधर खडे होकर रिश्वत स्वीकृति के ईशार के लिये मुकीम हुए। वक्त करीब 11.50 ए.एम. पर रूबरू गवाहान व परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ईशार कर बाहर निकला जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक व राजवीर सिंह कानि. के परिवादी के पीछे पीछे रवाना हो गये परिवादी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ़ के सामने गोयल मेडीकल स्टोर के काउंटर पर खडे व्यक्ति से वार्ता करने लगा। कांउटर पर खडे व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल से वार्ता कर परिवादी से रिश्वती राशी प्राप्त कर दोनां हाथों से गिनकर अपने काउंटर की दराज में रख लिये उक्त दृष्य मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक व राजवीर सिंह कानि.को दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी के पीछे खडा हुआ थां। गवाहान के सामने परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं डॉ.समर्थलाल मीणा एंव डॉ. योगेश शर्मा से सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ में मिला तो उन्होने कहा कि आप की एम.एल.सी. पर हस्ताक्षर कर दिये है। 25,000/-

रूपये की राशी गोयल मेडीकल स्टोर के मालिक श्री सुनील गोयल को देने की कही जिस पर मैनें आपको मेरे पिछे-पिछे आने का ईशार कर सुनील गोयल के पास इनके मेडीकल स्टोर पर आया और इनको कहा कि डॉ0 समर्थलाल मीणा एंव डॉ. योगेश शर्मा ने 25,000/-रूपये रिश्वत के आपको देने को कहॉ है जिस पर सुनील गोयल ने अपने मोबाईल से वार्ता कर मुझे 25,000/- रूपये देने को कहा जिस पर मैने इनको 25,000 रूपये पाउडर लगे नोट अपनी पहनी पेंट की सामने की दाहिनी जेब निकालकर इन्हें दी है। इन्होने 25,000 रूपये गिनकर अपने टेबल की रेक में रख लिये। परिवादी से उसे सुपुर्द शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी के उक्त कथन पर मैडिकल स्टोर के काउन्टर पर बैठे व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना हमराहियान गवहान एंव स्टाफ का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त का परिचय पूछॉ तो अपना नाम सुनील गोयल पुत्र मोहन लाल गोयल उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी प्रतापगढ मालिक सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ के सामने गोयल मेडीकल स्टोर होना बताया। दुकान में जगह नही होने के कारण वहॉ भीड़ बढ़ने के कारण आरोपित को लेकर आगे की कार्यवाही हेतु गवाह श्री राहुल बसंल से टेबल की दाहिनी साईड की उपर की रेक निकलवाई गई एंव टेबल की रेक को हमराह लेकर मय सुनील गोयल, स्वतन्त्र गवहान व स्टाफ के राजवीर सिंह कानि को मेडिकल स्टोर का सी.सी.टी.वी कैमरे का डीवीआर लाने की हिदायद देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ के परिसर में बने चिकित्सा अधिकारी निवास पर पहुंचे। चिकित्सा अधिकारी निवास के मुख्य दरवाजे पर डॉ. समर्थलाल मीणा एंव डॉ. योगेश शर्मा का नाम पैन्टर से लिखा हुआ है। उक्त निवास में दो व्यक्ति बैठे हुए है। उक्त व्यक्तियों की तरफ परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशार कर बताया कि यही डॉ. समर्थलाल मीणा है व दुसरे व्यक्ति की तरफ ईशार कर बताया कि यह डॉ. योगेश शर्मा है। उक्त दौनों व्यक्तियों को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना हमराहियान गवहान एंव स्टाफ का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये नाम व पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम डॉ. समर्थ लाल मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा उम्र 37 जाति मीणा निवासी ग्राम खारियावास, पोस्ट टहला हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ एंव दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम डॉ0 योगेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी कोलाहेडा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ होना बताया। श्री रवि कुमार कानि. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य दरवाजे के पास बनी पानी की टंकी से एक प्लास्टिक बोतल में साफ पानी मंगवाया गया। ट्रेप बाक्स से दो प्लास्टिक का पारदर्षी डिसपोजल गिलास निकलवाकर दोनो गिलासों में पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला एक गिलास के घोल में आरोपी श्री सुनील गोयल (प्राईवेट व्यक्ति) के दाहिने हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशयों में आधा-आधा भरवाकर शीशयों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री सुनील गोयल (प्राईवेट व्यक्ति) के बाये हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीशयों में आधा- आधा भरवाकर शीशयों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात टेबल की रेक में रखी रिश्वती राशी 500-500 रूपये की गड्डी रखी हुई है, गवाह श्री राहुल बसंल से उठवाकर गिनवाई तो 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 /-रूपये पाये है उक्त राशी गवाह श्री राहुल बंसल के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स से एक प्लास्टिक का पारदर्षी डिसपोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला उक्त गिलास के घोल में टेबल की रेक जिस स्थान पर रिश्वती राशी रखी हुई है उक्त स्थान को रूई की सहायता से धोवन लिया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीशयों में आधा- आधा भरवाकर शीशयों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रेक में अन्य राशी व पुराने कागजात रखे हुये है। उक्त कक्ष में उपयुक्त स्थान नहीं होने व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अत्यधिक भीड़ जमा हो जाने के कारण एंव सुरक्षा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये तथा पर्याप्त स्थान नही होने के कारण परिवादी व परिवादी का जीजा श्री मूलचंद एवं आरोपीगण,व हमराह स्टाफ व स्तन्त्र गवाहों व शील्डषुदा शीशीयां मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप सामग्री, टेबल की रेक को साथ लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ से रवाना होकर समय 01.10 पी.एम. पर पुलिस थाना प्रतापगढ पहुॅचा। थानाधिकारी, श्री नेकीराम चौधरी पुलिस निरीक्षक से अग्रिम कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान की अनुमति लेकर पुलिस थाना के परिसर में बने स्वागतम कक्ष में पहुॅच कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। आरोपी श्री सुनील गोयल पुत्र मोहन लाल गोयल उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी प्रतापगढ मालिक सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ के सामने गोयल मेडीकल स्टोर (प्राईवेट व्यक्ति) से परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर से ली गई रिश्वती राशी बाबत पूछा तो परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर की तरफ ईशार कर बताया कि मै इन्हें नही जानता हूं। यह व्यक्ति पहले मेरे पास कभी नही आया है। आज यह व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे कहा कि 25,000/- रूपये रख लो मैने उक्त व्यक्ति को पैसा लेने से मना किया जिसपर उक्त व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपसे कोई लेने आयेगा आप रख लो, मैने इस व्यक्ति यह नही पूछा कि पैसे

लेने के लिये कौन आयेगा, मेरे मोबाईल नम्बर 9929522826 है। मोबाईल ऑन करने का पासवर्ड 1983 है। मैने राशी लेकर अपनी काउंटर की रेक में रख दिये इतनी देर में ही आप आ गये। आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी कोलाहेडा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ से परिवादी से मांगी गई रिश्वती राशी 25,000/- रूपये एंव वक्त रिश्वती मांग सत्यापन दिंनाक 23.05.2024 को प्राप्त किये 15,000/- रूपये व आज दिंनाक 26.05.2024 को परिवादी से रिश्वती राशी 25,000 रूपये श्री सुनील गोयल मालिक गोयल मेडीकल स्टोर प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाने के बारे में पूछा तो बताया कि दिंनाक 23.05.2024 को श्री रूपसिंह गुर्जर व इनके साथ अन्य व्यक्ति मेरे पास सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ में आया और मुझे कहा कि पुलिस थाना प्रतापगढ में दर्ज मुकदमा नं. 56/2024 में एम.एल.सी. रिपोर्ट बनाने हेतु कहा जिस पर मैने रूपसिंह गुर्जर को कहा कि अगली पार्टी 30,000/- रूपये दे रही है तब उसे मना कर दिया जिस पर रूपसिंह गुर्जर ने मुझे कहा कि मै 40,000/- रूपये दे दुंगा जिसपर उसने मुझे कहा कि 15,000 रूपये अभी दे देता हॅू। और 25,000/- रूपये रविवार को दे दुंगा मैने रूपसिंह को मना किया तब वह चिकित्सा अधिकारी निवास जिसमें हम आराम करते है उक्त कमरे की अलमारी में रख कर चला गया। मैनें उसे मना भी किया था किन्तु वह राशी रख कर चला गया। आज दिंनाक 26.05.2024 को रूपसिंह मेरे पास ओपीडी में आया और कहा कि हमारी एम.एल.सी. बना दो जिस पर मैनें कहा कि आज अवकाष है 11बजे के बाद ओपीडी बन्द होने के बाद श्री समर्थलाल मीणा चिकित्सा अधिकारी आपकी एम.एल.सी. बना देगें। 11.30 ए.एम के बाद रूपसिंह गुर्जर चिकित्सा अधिकारी निवास में मेरे पास आया और मुझे कहा कि मैनें मेरी एम.एल.सी. बनवा ली है और बाकी बचे हुए 25,000/- रूपये किसको देने है तब मैनें कहा कि आप जानो और आपके डॉक्टर साहब समर्थलाल मीणा जाने तत्पष्यात वह मेरे पास से चला गया। आरोपी डॉ.समर्थ लाल मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा उम्र 37 जाति मीणा निवासी ग्राम खारियावास, पोस्ट टहला हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ से परिवादी से मांगी गई रिश्वती राशी 25,000/- रूपये एंव वक्त रिश्वती मांग सत्यापन दिंनाक 23.05.2024 को डॉ. योगेश शर्मा द्वारा प्राप्त किये 15,000 /- रूपये व आज दिंनाक 26.05.2024 को परिवादी से रिश्वती राशी 25,000 रूपये श्री सुनील गोयल मालिक गोयल मेडीकल स्टोर प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाने के बारे में पूछा तो बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नही है। परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर को पहचाने बाबत पूछा तो बताया कि पुलिस थाना प्रतापगढ़ की तहरीर पर रूपसिंह के लगी चोट की एम.एल.सी. बनवाने की ऐवज में यह मेरे पास दो-तीन बार आया है इस कारण मैं इसको जानता हॅू। रूपसिंह की एम.एल.सी. के बारे में पूछने पर बताया कि इनके परिवारजन के कुल चार व्यक्तियों की एम.एल.सी. रिपोर्ट बनानी थी। एम.एल.सी. रिपोर्ट मैनें दिनांक 16.03.2024 को बना दी थी किन्तु इनके हस्ताक्षर नही होने के कारण एम.एल.सी. रिपोर्ट इन्हें नही दी गई थी। रूपसिंह को चेहरे एंव मुख की एक्स-रे का एम.एल.सी. रिपोर्ट में सलाह दी गई थी जो सी.एच.सी.थानागाजी से प्राप्त होने में करीब 20 दिन का समय लग गया था। दिंनाक 23.05.2024 को रूपसिंह एंव परिवारजन को मैनें एम.एल.सी. रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने हेतु बुलाया था मेरे पास रूपसिंह व उसका रिश्तेदार मूलचंद आये थे व उनके परिवाजन साथ नही आये थे इस कारण एम.एल.सी. रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही हो सके थे। आज दिंनाक 26.05.2024 को रूपसिंह व उनके सभी परिवारजन मेरे पास हाजिर आने पर मैनें एम.एल.सी. रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर करवाये है। मेरे द्वारा रूपसिंह से कोई रिश्वत राशी की मांग नही की गई है एंव ना ही रिश्वत राशी प्राप्त की है। मैनें रूपसिंह के रिश्तेदार मूलचंद को एम.एल.सी. रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराने हेतु कई बार मेरे मोबाईल नम्बर 6350442185 से उसके मोबाईल नम्बर पर सूचना देने का प्रयास किया है लेकिन फोन रिसीव नही करता था। रूपसिंह व उनके परिवारजन की एम.एल.सी. रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने हेतु नही आने की सूचना मैनें पुलिस थाना प्रतापगढ़ में नही दी है। आरोपीगणों के उपरोक्त तथ्य पर मौके पर मौजूद परिवादी श्री रूपसिंह ने बताया कि उक्त तीनों आरोपित झूठ बोल रहे है हमारे परिवार के साथ रमेश व जयनारायण के परिवार ने मारपीट की थी। मारपीट में मेरे व मेरे पिताजी एवं मेरी पत्नि तथा मेरे भाई को गंभीर चोट लगी थी। उक्त मारपीट पर हमने पुलिस थाना प्रतापगढ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसकी एफआईआर नं0 56/2024 है। हमारे साथ हुई मारपीट की एम.एल.सी. करने हेतु मै व मेरे जीजा श्री मूलचंद सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ में डॉक्टर समर्थ लाल व डॉक्टर योगेश से मिले तो उन्होने एक लाख रूपये रिश्वत की मॉग की रिश्वत राशि नही देने पर पुरानी चोटें और साधरण चोट दिखाने की कही। मेरे द्वारा रिश्वत नही देने पर इनके द्वारा बार-बार रिश्वत की मांग के लिए मेरे जीजा श्री मूलचंद के पास मोबाईल फोन कर रिश्वत की मांग की गई। इनके द्वारा रिश्वत मांगने पर मैनें आपको शिकायत की तब आपने दिंनाक 23.05.2024 को श्री राजवीर सिह कानि0 एवं मुझे व मेरे जीजा श्री मूलचंद को मय वाईस रिकार्डर के रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ भिजवाया तो राजवीर सिह कानि0 ने वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझको सुपुर्द कर दिया। मै व मेरा जीजा मूलचंद राजवीर सिह कानि0 के पास रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ पहुचे। मेरी व मेरे जीजा की इनसे वार्तालाप हुई तो उन्होने हमारी एम.एल.सी. रिपोर्ट हमारे पक्ष मे बनाने की एवज में 15000 रूपये डॉक्टर योगेश ने ले लिए और 25,000 रूपये रिश्वत के और रविवार को लेकर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्रतापगढ मे बुलाया है। उक्त मांग के अनुशरण में आज आपके साथ मै व मेरे जीजा मूलचंद के इनको 25,000/- रूपये रिश्वत राशी देने आये तो इन्होनें हमे ओपीडी समय समाप्त होने के पष्चात मिलने को कहा ओपीडी समय समाप्त होने के

पष्चात मै इनसे मिला तो डॉ समर्थलाल ने हमारी एम.एल.सी. रिपोर्ट तैयार कर पूर्व हाजिर शुदा मेरे व मेरे परिवारजन के हस्ताक्षर करवाये और उक्त दौनों ने 25,000/- रूपये सुनील गोयल गोयल मेडीकल स्टोर प्रतापगढ़ के मालिक को देने के लिए कहा इनके कहे अनुसार मैं आपको मेरे पिछे-पिछे आने का ईशार कर सुनील गोयल के पास इनके मेडीकल स्टोर पर आया और सुनील गोयल को कहा कि डॉ0 समर्थलाल मीणा एंव डॉ. योगेश शर्मा ने 25,000/-रूपये रिश्वत के आपको देने को कहॉ है जिस पर सुनील गोयल ने अपने मोबाईल से वार्ता कर मुझे 25,000/- रूपये देने को कहा जिस पर मैने इनको 25,000 रूपये पाउडर लगे नोट अपनी पहनी पेंट की सामने की दाहिनी जेब निकालकर इन्हें दी है। इन्होने 25,000 रूपये गिनकर अपने टेबल की रेक में रख लिये। स्वतंत्र गवाह श्री राहुल बंसल के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशी को दोनों गवाहान से गिनवाया तो 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशी 25000/- रूपये मिले है। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकषी से दोनो गवाहान करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर सभी बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- रूपये को एक पीले रंग के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर कर थैली के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। टेबल की दाहिनी साईड की उपर की रेक जहॉ से रिश्वती राशी बरामद हुई है उक्त स्थान को रूई के फोये से धोवन लिया गया है उक्त रूई के फोये को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रख कर थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर सम्बधि्ांतों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क- एफ अंकित कर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद काउंटर की रेक जिससे रिश्वती राशी बरामद हुई है उस रेक में रखे अन्य राशी को दौनो गवाहान से गिनवाया तो 200-200 रूपये के 50 नोट, 100-100 रूपये के 41 नोट, 20-20 रूपये के 252 नोट, 10-10 रूपये के 657 नोट, कुल राशी 25,710 /-रूपये नये व पुराने फटे नोट रखे मिले व कुछ पुराने हिसाब के कागजात रखे है उक्त 25,710 /-रूपये के बारे में श्री सुनील गोयल से पूछा तो बताया कि उक्त राशी मेरे मेडीकल स्टोर से विक्रय की गई दवाईयों एंव 10,000 रूपये मेरे द्वारा परिचित व्यक्ति श्री रामफुल मीणा के खाते ऑनलाईन पे करने पर उसके द्वारा नगद राशी मुझे दी गई थी। यह वह राशी है। उक्त 25,710 /-रूपये मौके पर उपस्थित पर आये श्री सुषील कुमार गोयल आरोपित के भाई को सुनील गोयल कहे अनुसार सुपुर्द किये गये। पुराने हिसाब के कागजात भी श्री सुशील कुमार गोयल को सुपुर्द किये गये। कांउटर की रेक जिससे रिश्वती राशी बरामद हुई है को एक सफेद कपड़े की थैली में शील्ड मोहर कर थैली पर मार्क-आरएके अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर से प्राप्त शुदा वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपीगणों के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पेन ड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपीगण एंव परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर व परिवादी के जीजा मूलचंद को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशी पूर्ण की गई फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 3ः15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रूपसिंह एंव परिवादी का जीजा मूलचंद तथा भास्कर हैड कानि. के श्री सतीश कुमार हैड कानि.मय अन्य स्टाफ के वजह सबूत माल की निगररानी रखने की हिदायत देकर घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार करने घटनास्थल के लिये रवाना होकर वक्त 3ः55 पीएम पर परिवादीगणों की निशांदेही पर घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार कर हाजिर पुलिस थाना आया तत्पश्चात वक्त 03.15 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रूपसिंह एंव परिवादी का जीजा मूलचंद तथा भास्कर हैड कानि. के श्री सतीश कुमार हैड कानि.मय अन्य स्टाफ के वजह सबूत माल की निगरानी रखने की हिदायत देकर घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार करने घटनास्थल के लिये रवाना होकर परिवादीगणों की निशांदेही पर घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार कर हाजिर पुलिस थाना आया। फिर समय करीब 4ः00 पीएम पर आरोपी श्री सुनील गोयल पुत्र मोहन लाल गोयल उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी प्रतापगढ के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ के सामने गोयल मेडीकल स्टोर जहा पर आरोपित द्वारा परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर रिश्वती राशी लेकर अपने कांउटर की दाहिनी साईड की रेक में रखने पर बरामद की गई है उक्त मेडीकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरा की डीवीआर सीपी प्लस कम्पनी का मय चार्जर,माउस,कनेक्टींग केबल को राजवीर सिंह कानि. से निकलवाकर मंगवाया गया था जिसको कम्प्यूटर पर चला कर देखा गया एंव फर्द विषलेषण एंव फर्द जब्ती की थी जरिये फर्द सीसीटीवी कैमरा की डीवीआर सीपी प्लस कम्पनी का मय चार्जर,माउस, कनेक्टींग केबल जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। फिर समय 5ः00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एंव आरोपी डॉ समर्थलाल एंव डॉ योगेश शर्मा तथा भास्कर हैड कानि. के श्री सतीश कुमार हैड कानि.मय अन्य स्टाफ के वजह सबूत माल की निगररानी रखने की हिदायत देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी निवास की खाना तलाषी हेतु रवाना रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुच कर ं चिकित्सा अधिकारी निवास की खाना तलाषी हेतु जानकारी की तो बताया कि यह निवास डयॅूटी पर रहने वाले समस्त चिकित्सा अधिकारी आराम हेतु उपयोग में लिया जाता है। खाना तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु व राशी नही पाई जाने पर वापिस पुलिस थाना प्रतापगढ आया श्री

नेकीराम पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर ने पुलिस थाना प्रतापगढ़ में दर्ज प्रकरण संख्या 56/2024 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति जरिये पत्रांक 974 दिंनाक 26.05.2024 के पेश की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। फिर समय 06.00 पीएम दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की मौजूदगी में आरोपी डॉ.समर्थ लाल मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा उम्र 37 जाति मीणा निवासी ग्राम खारियावास, पोस्ट टहला हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ को जुर्म से अवगत कराते हुये हस्व कायदा जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफतार किया गया। फिर समय 06.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की मौजूदगी में आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी कोलाहेडा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ को जुर्म से अवगत कराते हुये हस्व कायदा जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफतार किया गया। फिर समय 07.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की मौजूदगी में आरोपी श्री सुनील गोयल पुत्र मोहन लाल गोयल उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी प्रतापगढ मालिक सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ के सामने गोयल मेडीकल स्टोर को जुर्म से अवगत कराते हुये हस्व कायदा जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफतार किया गया। फिर समय 07ः30 पीएम पर पुलिस थाना प्रतापगढ़ में उपस्थित आये डॉ सुमर्थलाल मीणा चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगढ़ से तीनों आरोपीगण डॉ समर्थलाल मीणा, डॉ.योगेश शर्मा, एंव सुनील गोयल का तहरीर देकर स्वास्थ परीक्षण करवाया गया। फिर दिनांक 26.05.2024/समय 07.45 पीएम से दिनांक 27.05.2024/समय 01.56 एएम तक दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री रूपसिंह एंव परिवादी के जीजा मूलचंद की उपस्थिति में परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय वॉईस रिकार्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी व परिवादी के जीजा श्री मूलचंद की आरोपीगण डॉ.समर्थ लाल मीणा, व डॉ. योगेश शर्मा तथा श्री सुनील गोयल से हुई वार्ता रिकार्ड है को लेपटोप के डेस्कटोप पर सेव कराया जाकर उक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटोप की मदद से चलाकर वार्ता को टेबिल स्पीकरों के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर साथ-साथ उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं परिवादी श्री रूपसिंह एंव परिवादी के जीजा श्री मूलचंद द्वारा अपनी आवाज व आरोपीगण डॉ.समर्थ लाल मीणा, व डॉ. योगेश शर्मा तथा श्री सुनील गोयल की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी व परिवादी के जीजा श्री मूलचंद ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु पांच खाली पैन ड्राईव हमराहा लाये गये पांचो पैन ड्राईव SANDISK 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले SANDISK 32 जीबी मैमोरी कार्ड रिकॉर्ड शुदा वार्ता जो LOCATION-PRIVATE/ SONY/ VOICE/ FOLDER 01 में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड शुदा वार्ता को लैपटोप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से पांच पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पांच पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का सी-1 व सी-2 तथा सी-3, सी-4 एंव सी-5 अंकित किया जाकर मार्क सी-1 व सी-2 सी-3, सी-4 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पांचवे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क सी-5 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया । उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पेन ड्राईव बनाये गये है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन-देन संबंधी रिकार्ड वार्ताओ के मूल एसडी कार्ड SANDISK 32 जीबी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर एक सादा कागज में लपेटकर उक्त को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे सील्ड मोहर कर मार्क एसडी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। फिर दिनांक 27.05.2024 को समय 02ः00 एएम पर टै्रप कार्यवाही में बजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास शील्ड नं0 05 को श्री राजवीर कानि. 443 के जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02ः15 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर व परिवादी के जीजा श्री मूलचंद को उसके घर जाने हेतु रूखसत दी गई। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ व दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारषुदा आरोपीगण डॉ समर्थलाल मीणा, डॉ योगेश शर्मा, एंव सुनील गोयल के जरिये राजकीय वाहन मय चालक महेश चन्द एवं निजी वाहन से ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वजह सबूत एवं मय लेपटाप, प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम के लिए रवाना होकर समय करीब 7ः00 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ व दोनो स्वतंत्र गवाहान व गिरफ्तारषुदा आरोपीगण डॉ समर्थलाल मीणा, डॉ योगेश शर्मा, एंव सुनील गोयल के जरिये राजकीय वाहन मय चालक महेश चन्द एवं प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वजह सबूत को मय लेपटाप, प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा रिश्वती राशी जप्त/सील्ड माल वजह सबूत मालखाना में जमा करने श्री सतीश कुमार, हैड कानि0 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। फिर समय 07ः15 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री श्री राहुल बंसल कनिष्ठ

सहायक व श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड भिवाड़ी को बाद हिदायत रूखसत दी गई। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री रूपसिंह गुर्जर पुत्र श्री ईश्वरमल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी-बल्लूबास तहसील थानागाजी जिला अलवर एवं उसके जीजा श्री मूलचन्द से उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट का मुकदमा नं. 56/2024 अन्तर्गत धारा 323, 341, 457, 382, 427, 143 भादस पुलिस थाना प्रतापगढ जिला अलवर में उसके परिजनों के आई गंभीर चोट को एम.एल.सी. रिपोर्ट में साधारण एवं पुरानी चोट दिखाने की ऐवज में आरोपी डॉ0 समर्थ लाल मीना, चिकित्सा अधिकारी एवं श्री योगेश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ जिला अलवर द्वारा एक राय होकर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 23.05.2024 को आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा चिकित्सा अधिकारी द्वारा 15000/- रूपये रिश्वत की राशी प्राप्त कर आरोपीगणों द्वारा 25000/-रूपये रिश्वत राशी की मांग करना एवं अपनी उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 26.05.2024 को परिवादी से 25000/- रूपये रिश्वत राशी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ के सामने स्थित गोयल मेडिकल के मालिक श्री सुनील गोयल को देने की कहने एवं परिवादी द्वारा रिश्वती राशि सुनील गोयल को देने पर रिश्वती राशि सुनील गोयल की काऊन्टर की दाहिनी ऊपर की रेक में रखी होकर बरामद होने पर आरोपी डॉ.समर्थ लाल मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा उम्र 37 जाति मीणा निवासी ग्राम खारियावास, पोस्ट टहला हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ व डॉ0 योगेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी कोलाहेडा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ तथा श्री सुनील गोयल पुत्र श्री मोहन लाल गोयल उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी- प्रतापगढ, जिला अलवर हाल मैसर्स गोयल मेडिकल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ जिला अलवर के सामने स्थित को जुर्म से आगाह कर अपराध अर्न्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 120बी भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपी 1.डॉ.समर्थ लाल मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा उम्र 37 जाति मीणा निवासी ग्राम खारियावास, पोस्ट टहला हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ व 2.डॉ0 योगेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी कोलाहेडा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ तथा 3. श्री सुनील गोयल पुत्र श्री मोहन लाल गोयल उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी- प्रतापगढ, जिला अलवर हाल मैसर्स गोयल मेडिकल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ जिला अलवर के सामने का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एंव 120बी भा.द.स.में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाड़ी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए पी.सी एक्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा0द0स0 में आरोपी 1- डॉ.समर्थ लाल मीणा पुत्र मोहरपाल मीणा उम्र 37 जाति मीणा निवासी ग्राम खारियावास, पोस्ट टहला हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतापगढ 2-डॉ0 योगेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी कोलाहेडा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़ हाल चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतापगढ 3-श्री सुनील गोयल पुत्र मोहन लाल गोयल उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी प्रतापगढ मालिक सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र प्रतागगढ के सामने गोयल मेडीकल स्टोर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार उप पुलिस अधीक्षक अलवर-प्रथम को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 435 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 509-12 दिनांक 27.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर । 3 शासन उप-सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग राजस्थान जयपुर 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय हाल भिवाड़ी । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/05/2024 17:59:12

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				
2	Male	1996				
3	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)